न्यायालय– विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,(एन0 आई0 एक्ट प्रकरण)
कम ...12...., जयपुर महानगर द्वितीय

उदगम कामर्शियल बनाम मोहन सिंह

मुकद्मा नम्बर – 257156/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2026	परिवादी उदगम कॉमर्शियल के अधिकृत प्रतिनिधि मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त मोहन सिंह शेखावत मय अधिवक्ता उपस्थित। परिवादी ने परिवाद आगे नहीं चलाने का निवेदन किया। अधिवक्ता परिवादी ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। सम्पूर्ण लोन राशि प्राप्त कर ली है तथा कोई राशि बकाया नहीं है। अतः वह प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अभियुक्त पक्ष की ओर से भी इसी प्रकार के तथ्यों को उल्लेखित किया गया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि परिवादी व अभियुक्त के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है एवं परिवादी परिवाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। लिहाजा परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा 138 एनआईएक्ट को विड्रो करने की अनुमती दी जाती है। पक्षकारान में राजीनामा होने से परिवादी द्वारा परिवाद विड्रो किया गया। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः अभियुक्त मोहन सिंह शेखावत को धारा 138 एनआईएक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	